न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 120/2015 (उदयपुर डिक्री)

गमेरसिंह पिता भैरूसिंह जी राजपूत, निवासी मन्देरिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. हडमतसिंह पिता भैरूसिंह जी राजपूत मृतक के बजाय :–

1/1. करणसिंह पिता हडमतसिंह जी राजपूत, निवासी मन्देरिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. श्रीमती सूरज कुंवर पुत्री हडमतसिंह जी राजपूत, निवासी मन्देरिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. श्रीमती लहर कुंवर पुत्री हडमतसिंह जी राजपूत, निवासी मन्देरिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. श्रीमती किशोर कुंवर पुत्री हडमतसिंह जी राजपूत, निवासी मन्देरिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/5. श्रीमती मीरा कुंवर पुत्री हडमतसिंह जी राजपूत, निवासी मन्देरिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/6. श्रीमती मेहताब कुंवर बेवा हडमतसिंह जी राजपूत, निवासी मन्देरिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

2. वक्तावरसिंह पिता भैरूसिंह जी राजपूत, निवासी मन्देरिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

3. विजयसिंह पिता भैरूसिंह जी राजपूत, निवासी मन्देरिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

4. खुमाणसिंह पिता भैरूसिंह जी राजपूत, निवासी मन्देरिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

5. शिवसिंह उर्फ सवसिंह पिता भैरूसिंह जी राजपूत मृतक के बजाय :–

5/1. भूरसिंह पिता शिवसिंह उर्फ सवसिंह जी राजपूत, निवासी मन्देरिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

5/2. गोविन्दसिंह पिता शिवसिंह उर्फ सवसिंह जी राजपूत, निवासी मन्देरिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

5/3. कल्याणसिंह पिता शिवसिंह उर्फ सवसिंह जी राजपूत, निवासी मन्देरिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

5/4. श्रीमती हिम्मत कुंवर बेवा शिवसिंह उर्फ सवसिंह जी राजपूत, निवासी मन्देरिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

6. राजस्थान जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त.अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
दि॰ 15.9.97 व 5.12.97 प्र.सं.175/92

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री संजय बोहरा अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री राजमल राव अभिभाषक र.सं. 4, 5/1 से 5/4
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय दिनांक

15–05–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व सरकार के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मन्देरिया में वाद पत्र की कलम संख्या 1 ''अ'' वर्णित कुल किता 14 रकबा 40 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार वाद पत्र की कलम संख्या 1 ''ब'' वर्णित कुल किता 14 रकबा 18 बीघा भूमि स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमियों के मूल पुरूष भैरूसिंह जी थे, जो विरासत से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज हुई है। भूमियों का अभी विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ है, किन्तु सहूलियत की दृष्टि से वादी एवं प्रतिवादीगण अलग–अलग काश्त कर रहे हैं। अतः उपरोक्तानुसार विवादित भूमियों का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन कराया

जावे एवं आराजी चाह नंबर 456–105, 97/2 में भी बराबर–बराबर हिस्सा कराया जावे।

प्रकरण में पक्षकारों द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किये जान पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30–05–1994 से वादी का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया तथा प्राप्त फर्द बंटवाड़े के आधार पर दिनांक 16–09–1997 को अंतिम डिक्री जारी की, तत्पश्चात अपनी आदेशिका दिनांक 05–12–1997 द्वारा अंतिम डिक्री में परिशिष्ठ ''ख'' की भूमियां भी जोड़ने का आदेश दिय।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16–09–1997 एवं संशोधित आदेशिका दिनांक 05–12–1997 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मं दिनांक 30–12–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अंतिम डिक्री अपीलान्ट की अनुपस्थित में उसे बिना सुने पारित किया गया है तथा तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की गयी है। प्रार्थी अनपढ़ व्यक्ति है। विपक्षी विजयसिंह दिनांक 14–12–2015 को जब मौके पर आकर हमें कब्जा हटाने एवं बंटवाड़ा हो जाने को कहा तब उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। हालांकि उक्त अपील करीब 18 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसके लिऐ जो कारण अपीलान्ट द्वारा लिये गये हैं, वह उचित प्रतीत नहीं होते हैं, फिर भी अखण्डित शपथ पत्र एवं प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4, 5/1 से 5/4 की ओर से वकील श्री राजमल राव उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर

उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि प्रारम्भिक डिक्री की पालना में जो मौके पर न तो तहसीलदार स्वयं उपस्थित हुए न ही उनके द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया तथा अपीलान्ट के खाते में कम भूमि रखी गयी है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री प्राकृतिक न्याय एवं सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त की जावे एवं प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जाकर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5/1 से 5/4 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर अपीलान्ट की अपील पर सहमति व्यक्त करते हुए बताया कि भूमियों पर आने–जाने का रास्ता नहीं छोड़ा गया है, न ही कुओं के संबंध में कोई आदेश पारित किया गया है। इसलिए कुंए व रास्ते की जमीन को छोड़कर नियमानुसार बंटवाड़ा कराया जाना आवश्यक है। अतः अपील स्वीकार कर नये सिरे से बंटवाड़ा कराया जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि फर्द बंटवाड़ा पटवारी द्वारा तैयार किया गया है, जबकि तहसीलदार वल्लभनगर को फर्द बंटवाड़ा तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। नवीनतम न्यायिक नजीर 2017 (1) आर.आर.टी. पेज 689 अनुसार तहसीलदार स्वयं को मौका निरीक्षण करना चाहिए, ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण है, तद्नुसार उसके बाद अंतिम डिक्री में परिशिष्ठ ''ख'' की भूमियों को जोड़े जाने का आदेश भी त्रुटि पूर्ण है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 06–09–1997 व संशोधित आदेशिका दिनांक 05–12–1997 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली

अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि तहसीलदार स्वयं मौके पर जावे एवं पक्षकारों की उपस्थिति में बंटवाड़ा नियम 18 से 21 अनुसार फर्द बंटवाड़ा तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करे, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय उक्त फर्द बंटवाड़े पर यदि पक्षकारान की कोई आपत्तियां हैं तो उनका निस्तारण करते हुए प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी करें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 15–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

पन्नालाल पिता शंकरलाल माली, नि0 ईण्टाली, तह॰ मावली, जिला उदयपुर	बनाम	रामा पिता शंकरलाल माली, नि0 ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.....67 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....वल्लभनगर..... मुकाम.....मुवर्खे.....20.....माह..... 05.....2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....26....माह.....04.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी.....श्री तुलसीराम डांगी.....मिनजानिब अपीलान्ट व....श्री अजयसिंह हाडा

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहोन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20–05–2017 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....26.....माह.....04..... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।